संख्या : 43/2015/367/छप्पन-15-108क्यू/81

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 09 जून, 2015

विषय : नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 के विमानों के लिए ईंधन/तेल प्राप्त करने हेतु हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 के लिए प्रत्याभूति हेतु व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 975/ना0उ0वि0/105/2014, दिनांक 31-12-2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नागरिक उड्डयन निदेशालय के वायुयानों/हेलीकॉप्टरों के लिए ईंधन प्राप्त करने हेतु हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 को कारनेट्स के लिए प्रत्याभूति के रूप में रूपये 6,50,000-00 (रूपये छः लाख पचास हजार मात्र) की माँग की गई है। इस प्रत्याभूति के रूप में जमा धनराशि के पश्चात हिन्दुस्तान पेट्रोलियम लि0 द्वारा ईंधन रिफ्यूलिंग हेतु क्रेडिट सुविधा दी जायेगी। अतः राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2015-16 में नागरिक उड्डयन निदेशालय के वायुयानों/हेलीकॉप्टरों के लिए ईंधन/तेल प्राप्त करने हेतु हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 को कारनेट्स के लिए रूपये 6,50,000-00 (रूपये छः लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि प्रत्याभूति के रूप में जमा करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 से वायुयानों/हेलीकॉप्टरों के लिए ईंधन/तेल की आवश्यकता न रहने की दशा में उक्त कारनेट्स कारपोरेशन को वापस कर प्रत्याभूति की धनराशि को उनसे प्राप्त उसी लेखा शीर्षक जिसके समक्ष वह पुस्तांकित की जा रही है, के पक्ष में जमा कर दी जायेगी।

----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में लेखा शीर्षक 8674-सरकार द्वारा की गई प्रत्याभूति जमा-101-सरकार द्वारा की गई प्रत्याभूति-जमा-02-प्रत्याभूति जमा-01- हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 को कारनेट के लिए प्रत्याभूति जमा के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या- ई-7-508/दस-2015, दिनांक 04 जून, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

पृ0सं0 : 43/2015/367(1)/छप्पन-2015-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।